न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 08/2014 (उदयपुर डिक्री)

1. श्री रामलाल पुत्र स्व0 श्री डालूजी डांगी निवासी राणाकुड़ी तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री लोगर पुत्र स्व0 श्री डालूजी डांगी निवासी राणाकुड़ी तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
3. श्रीमती रूपीबाई पुत्री श्री डालूजी पत्नी श्री सवाजी डांगी निवासी सालेरा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)
4. श्रीमती देउबाई पुत्री श्री डालूजी पत्नी श्री भगाजी डांगी निवासी गुडली तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री हुक्मीचन्द पिता श्री भगाजी डांगी निवासी राणाकुड़ी तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
2. श्रीमती लालीबाई पुत्री भगाजी डांगी निवासी राणाकुड़ी तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
3. श्री उदयलाल पिता श्री केशाजी डांगी निवासी राणाकुड़ी तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
4. श्री भेरूलाल पुत्र श्री सवाजी डांगी निवासी टूस डांगियान तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
5. श्री उदयलाल पुत्र श्री सवाजी डांगी निवासी टूस डांगियान तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
6. श्री शंकरलाल पुत्र श्री सवाजी डांगी निवासी टूस डांगियान तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
7. श्री चेनराम पुत्र श्री सवाजी डांगी निवासी टूस डांगियान तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
8. प्रेमी पुत्री श्री सवा जी डांगी निवासी टूस डांगियान तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
9. श्री मांगीलाल पुत्र श्री डालूजी डांगी निवासी टूस डांगियान तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)

10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी वल्लभनगर दिनांक 28–02–1994 प्रकरण
संख्या 36/1989 राजस्व वाद

———

उपस्थित :–1– श्री भूरालाल डांगी अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.सं. 10

———/———

निर्णय **दिनांक 18–09–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में श्री वक्ता द्वारा अपीलान्ट के पूर्वज डालू प्रतिवादी संख्या–1 तथा भगा व केसा ने तहसीलदार के विरूद्ध एक दावा पेश कर निवेदन किया कि ग्राम राणाकुड़ी की वादपत्र की कलम संख्या–1 वर्णित आराजीयात राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या–1 के नाम दर्ज है। यह आराजीयात वादी व प्रतिवादी नंबर 1, 2, 3 की शामलाती संपत्ति से उदयपुर दरबार से दिनांक 8–6–1961 को रूपये 95/– में खरीदकर कब्जा प्राप्त किया, तब से इन आराजीयात पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी नंबर–1 सबसे बड़ा भाई होने से कर्ता खानदान होने से यह भूमि प्रतिवादी संख्या–1 के नाम से खरीदी व उसीका नाम दर्ज हुआ, परन्तु विवादित आराजीयात पर सभी चारों भाईयों का कब्जा चला आ रहा है तथा कुंआ भी शामलाती खोदा, निवेदन किया कि भूमियों में उसे 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए विधिवत विभाजन करवाया जाय।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–1 अपीलान्ट के पूर्वज डालू ने खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर क्रय दिनांक 8–6–1961 के पूर्व ही संयुक्त परिवार समाप्त हो जाने तथा भूमियां अकेले स्वयं द्वारा क्रय किये जाने व स्वयं के एकल परिवार के लिए स्वयं क्रय करने बंटवाड़े का अधिकारी नहीं होने व कब्जा अकेले प्रतिवादी संख्या–1 का होने का जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या–2 भगा द्वारा सहमति का जवाबदावा पेश किया गया।

प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने निम्नानुसार तनकीयात कायम की :–

1. **आया वाद पत्र की कलम नंबर 1 की आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण नंबर 1, 2, 3 ने परिवार की सम्मिलित संपति से दरबार श्री हिजाईनेस उदयपुर से दिनांक 8–6–1961 को 95 रूपये में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तब से में वादी एवं प्रतिवादीगण बराबर काश्त कर रहे है।**
2. **आया प्रतिवादी नंबर 1 परिवार का मुखिया एवं घर का कर्ता खानदान होने से संयुक्त हिन्दू परिवार के सम्मिलित संपति होते हुए भी प्रतिवादी नं. 1 के नाम रेवेन्यू रेकर्ड में दर्ज हुई।**
3. **आया कलम नंम्बर 1 की आराजीयात खरीद करने के बाद परिवार की संयुक्त संपति में कुंआ बंधवाया जमीन को आबादान करने में 3000/– खर्च हुए।**
4. **आया वादी 1/4 हिस्सा का संयुक्त खातेदार घोषित कराने का अधिकारी होकर मौके पर अपना हिस्सा जरिये कमीशन अलग कराने का अधिकारी है।**
5. **आया वाद पत्र की कलम नंबर 1 की आराजीयात प्रतिवादी 1 का स्वतन्त्र कब्जा 12 वर्ष से भी अधिक होने से यह वाद अवधि के अन्दर नहीं होकर बेरून मयाद है? ..... प्रतिवादी**
6. **दादरसी ?**

अधिनस्थ न्यायालय में उभयपक्षों की साक्ष्य सबूत लेने के बाद अपने प्रकरण संख्या 118/1976 निर्णय दिनांक 30–8–2006 से वादी का वाद घोषणात्मक डिक्री करते हुए प्रारम्भिक डिक्री पारित की। जिसकी अपीलान्ट के पूर्वज डालू द्वारा राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर में अपील संख्या 280/1986 दायर की। जिसका निर्णय दिनांक 15–11–1988 को होकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30–6–1986 अपास्त करते हुए अपीलीय न्यायालय में तनकीवार निर्णय पारित करने के लिए अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। अपीलीय न्यायालय के प्रतिपेषण आदेशों के क्रम में अधिनस्थ न्यायालय ने पुनः प्रकरण संख्या 36/1989 दर्ज होकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28–2–1994 को तनकीवार निर्णय पारित करते हुए वादी वक्ता के वाद को 1/4 हिस्से से खातेदारी घोषणात्मक डिक्री किया।

अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 36/1989 में पारित निर्णय दिनांक 28–2–1994 के विरूद्ध प्रतिवादी डालू के वारिसान अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 10–3–2014 को पेश की।

अपील के साथ दफा–5 जाब्ता मयाद का आवेदन पेश करते हुए निवेदन किया कि डालूजी काफी वृद्ध थे तथा बिमार होने के कारण अपने वकील से सम्पर्क नहीं कर पाये तथा करीब 17 वर्ष पूर्व उनका निधन हो गया। उसके बाद अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या–9 को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। दिंनाक 2–2–1994 को प्रतिवादी संख्या–1 डालू के अधिवक्ता ने हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर किया। जिससे उनके विरूद्ध एक–तरफा डिक्री हो गई। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा भूमि को विक्रय करने की धमकी देने पर उन्हें 15–1–2014 को निर्णय की जानकारी हुई एवं अन्दर जानकारी मयाद अपील प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–10 सरकार की और से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। मयाद व मूल अपील पर अपीलान्ट को सुना गया तो यह पाया कि प्रकरण में यह अपील करीब 20 वर्षो के विलम्ब से पेश हुई है तथा मयाद 20 वर्षों की कण्डोन किये जाने के लिए जो आधार दिये गये है वे संतोषजनक, उचित एवं पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार 20 वर्षो की मयाद कण्डोन किये जाने के लिए कोई आधार नहीं होने से अपील बेरून मयाद होने से ही खारिज किये जाने योग्य है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में बहस के स्तर पर डालू के वकील द्वारा हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर किया है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उपलब्ध उभयपक्षों की साक्ष्य सबूत के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित किया है, जो विधिक है।

उपरोक्तानुसार अपील अपीलान्ट बेरून मयाद व सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–2–1994 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18–09–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** ....मुकाम .... **उदयपुर** व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

1–श्री रामलाल पुत्र स्व. डालूजी डांगी निवासी राणाकुड़ी तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर व अन्य–3

बनाम

1– श्री हुक्मीचन्द पिता भगाजी डांगी निवासी राणाकुड़ी तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर व अन्य–9 व सरकार

अपील नं0 **08 / 2014** बनाराजगी डिगरी अदालत............ **उपखण्ड अधिकारी** .... **वल्लभनगर........** मुकाम मुर्क्खे...........**28**..........माह.............**02**................ **1994**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ......**18**..... माह ......**09**.......... सन् **2018** रूबरू............ पक्षकारान व हाजरी....**श्री भूरालाल डांगी.....**................. मिनजानिब अपीलान्ट व ....**श्री पंकज भटनागर**.............. रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद व सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–2–1994 यथावत रखा जाता है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये.......... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख ....**18**...... माह ...**09**........ **2018** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा .... 3. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।